

# लोक शिक्षण संचालनालय

भायपटेश

क्र०/श.क./ए/संवि./61/20/0/

6/6

= आदेश =

गोपाल, दिनांक


15/6/11

मोडरो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 16.4.08 में उल्लेखित वरिष्ठ दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संघर्ष के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित संस्था के संबंध से अन्य जिला सविलियन तालिका के कालम-6 तथा तालिका के कालम-8 में उल्लेखित निकाय द्वारा अनुमति प्रमाण पत्र के आधार पर सामान्य पद सामर्थ्य, विषयगत, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर नियुक्ति शर्तों की पूर्ति के अन्तर्गत सविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संघर्ष में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अतः जिला सविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जायक क्रमांक एवं दिनांक		सविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	सविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती पुष्पा, निराला धरिष्ठ अध्यापक (भुगत) शा.उत्कृष्ट उ.मा.धि. ल 1 जिला ग्वालियर	802489	23040577 707	नगर निगम ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र. 463 दि 14.08.10	नगर जालिख परिषद दलिया जिला बालाघाट जा.क्र. 2 दि.31.05.10 शा.उत्कृष्ट उ.मा.धि. दलिया	2305017770 3


सविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में सविलियन के लिए मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में सविलियन किया जाएगा।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा सविलियन संघर्ष प्रदान आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय में कार्यरत हो सकेंगे।
- तालिका के कालम-8 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का कार्यमुक्त किया जाए। सविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का कार्यमुक्त न किया जाए।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही सविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
- सविलियन किए जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित सविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के क्रमवारी में समत नीचे मान्य होगी।
- वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के सविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही सविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संघर्ष में सविलियन होने एवं सविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संघर्ष में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही सविलियन मान्य किया जावे।




9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय छांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण चलीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति नाननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्वधान को गई है। अतः उक्त संघिलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 8 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जबकि क्रमांक एवं दिनांक को पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कायालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशाली होगा।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
 04 संचालक 15/6/10  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
 भंडार, विन्ध्यक 15/6/10

नं. क्र. 00/शिक्षा/ए/संवि. 10/2010 / 617  
 संश्लेषित :-

1. निज सचिव का मंत्री जो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनाएं प्रेषित।
2. निज संचालक का मंत्री जो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनाएं प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मंत्र. शाला स्कूल शिक्षा विभाग, मन्त्रालय भोपाल।
4. आयुक्त आदिवासी शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश को और भेजकर लेख है कि आपके स्थिति से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यन्युक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यन्युक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका नरिपद, नगर पंचायत मध्यप्रदेश को और भेजकर लेख है कि आपके निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यन्युक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
10. संबंधित शिक्षा शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. संबंधित स्कूल प्रचारक को और सूचनाएं तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित को और सूचनाएं।

  
 उप संचालक 15/6/10  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश